भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3486
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं में एनीमिया

3486. श्री अ. मनि:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
सुश्री महुआ मोइत्रा:
डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर झारखंड और तमिलनाडु में विशेषकर धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषण से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए शुरू किए गए विशिष्ट कार्यक्रम और पहल क्या हैं;
(ग) उक्त राज्यों में एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं और कुपोषित बच्चों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(घ) उपर्युक्त मुद्दे के समाधान के लिए उक्त राज्यों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि, संसाधन और सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान गर्भावस्था से लेकर पांच वर्ष की आयु तक कुपोषण की घटनाओं का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

(मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसकी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन व्यापक योजना है जिसमें पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी लाभार्थी के लिए प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। यह मिशन झारखंड और तमिलनाडु सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- सतत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर

तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता, प्रचार-प्रसार एक प्रमुख कार्यकलाप है क्योंकि अच्छी पोषण आदतों में व्यवहार में बदलाव के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

भारत सरकार एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के आधार पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित बच्चों और महिलाओं में छह कार्यकलापों के माध्यम से रक्ताल्पता के प्रसार को कम करना है। इन कार्यकलापों में प्रोफाइलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण (6-59 महीने के बच्चों को सप्ताह में दो बार आईएफए सिरप, 5-9 साल के बच्चों को सप्ताह में एक बार आईएफए पिंक टैबलेट प्रदान किया जाता है, 10-19 साल के किशोरों को सप्ताह में एक बार आईएफए ब्लू प्रदान किया जाता है, प्रजनन आयु समूह की महिलाओं को सप्ताह में एक बार आईएफए रेड प्रदान किया जाता है और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आईएफए रेड गोलियां (180 दिनों के लिए दैनिक), कृमि मुक्ति (गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली और सभी बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान एल्बेंडाजोल की गोलियां), गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, एनीमिया की जांच और एनीमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आईएफए फोर्टिफाइड भोजन का अनिवार्य प्रावधान और मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से एनीमिया (विशेष रूप से मलेरिया, फ्लोरोसिस और हीमोग्लोबिनोपैथी) के गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान करना शामिल है।

रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं का विवरण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के तहत जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, देश में 15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में रक्ताल्पता का प्रसार 57 प्रतिशत है।

झारखंड और तमिलनाडु राज्य के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार महिलाओं में एनीमिया का जिले-वार प्रसार https://www.data.gov.in/catalog/national-family-health-survey-5-nfhs-5-india-districts-factsheet-data पर उपलब्ध है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, 2021-22 से झारखंड और तमिलनाडु को जारी की गई निधि **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

पोषण ट्रैकर के अनुसार फरवरी 2023, फरवरी 2024 और फरवरी 2025 में देश में बच्चों (0-5 वर्ष) के राज्य-वार कुपोषण संकेतक **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र (जिसमें धर्मपुरी और सेलम जिले शामिल हैं) सहित झारखंड और तमिलनाडु में बच्चों (0-5 वर्ष) की जिले-वार कुपोषण स्थिति **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

झारखंड, तमिलनाडु और तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र (जिसमें धर्मपुरी और सेलम जिले शामिल हैं) में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया से निपटने के लिए, ऊपर बताए गए उपायों के अलावा, किए गए उपायों का विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

"महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री मणि ए, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, सुश्री महुआ मोइत्रा और डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3486 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, वर्ष 2021-22 से झारखंड और तमिलनाडु को जारी की गई निधि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)*

झारखंड	**तमिलनाडु**
1,899.31	2829.35

* 28 फरवरी 2025 तक जारी की गई निधि

अनुलग्नक-II

"महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री मणि ए, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, सुश्री महुआ मोइत्रा और डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3486 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक पोषण ट्रैकर से फरवरी 2023, फरवरी 2024 और फरवरी 2025 में देश में बच्चों (0-5 वर्ष) के कुपोषण संकेतकों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य	फरवरी-23			फरवरी-24			फरवरी-25		
		ठिगना पन %	दुबला पन %	अल्प वजन %	ठिगना पन %	दुबला पन %	अल्प वजन %	ठिगना पन %	दुबला पन %	अल्प वजन %
1	आंध्र प्रदेश	20.00	4.95	9.69	20.30	5.49	9.77	18.27	4.83	7.91
2	अरुणाचल प्रदेश	32.07	4.90	12.50	30.26	4.72	8.97	37.18	4.54	10.76
3	असम	38.76	7.17	18.27	40.28	4.50	15.63	42.79	4.12	16.41
4	बिहार	41.60	10.52	25.10	41.44	9.99	23.25	47.33	9.58	24.09
5	छत्तीसगढ़	37.40	13.54	17.11	33.57	9.90	15.20	26.20	6.96	13.35
6	गोवा	25.79	6.03	11.17	18.36	2.37	5.56	7.51	1.10	2.46
7	गुजरात	51.80	7.69	22.43	43.48	8.30	19.82	36.53	7.95	19.84
8	हरियाणा	30.74	7.33	12.49	26.40	4.98	7.90	27.63	4.17	8.38
9	हिमाचल प्रदेश	25.05	3.47	8.97	19.79	1.88	5.93	19.47	2.07	6.31
10	झारखंड	40.40	9.70	23.09	41.52	7.86	18.58	43.91	6.39	19.14
11	कर्नाटक	39.41	8.41	19.95	40.72	7.86	18.33	41.20	3.68	17.61
12	केरल	35.73	8.70	14.43	32.93	3.20	9.41	37.05	2.93	10.30
13	मध्य प्रदेश	54.12	7.69	26.22	41.26	6.47	21.89	46.60	7.04	25.42
14	महाराष्ट्र	46.06	7.11	19.83	48.63	5.42	18.19	44.45	3.80	14.63
15	मणिपुर	17.76	1.64	7.48	16.89	1.55	7.97	9.69	0.66	2.77
16	मेघालय	28.42	2.49	8.01	22.94	1.39	5.22	19.02	0.92	4.21
17	मिजोरम	22.08	4.05	6.51	24.64	3.26	6.21	29.53	2.49	6.44
18	नागालैंड	42.86	6.43	12.14	27.02	5.52	7.16	31.15	5.61	7.26
19	ओडिशा	31.17	5.00	14.62	28.17	3.60	12.27	28.95	2.98	11.88
20	पंजाब	26.05	7.39	12.35	18.65	4.11	6.69	20.67	3.50	6.49
21	राजस्थान	34.10	11.43	20.32	37.43	7.71	17.63	38.57	6.31	18.67
22	सिक्किम	14.97	3.10	3.81	12.53	2.61	2.24	10.26	2.04	2.02
23	तमिलनाडु	19.27	5.15	9.43	15.08	3.98	7.05	13.76	3.46	6.40
24	तेलंगाना	27.27	4.86	13.41	29.25	4.63	12.55	33.39	5.25	15.44
25	त्रिपुरा	39.22	8.74	17.11	38.08	7.18	15.45	41.35	6.99	17.28
26	उत्तर प्रदेश	47.66	7.42	20.92	46.17	5.24	19.19	48.72	4.34	19.76
27	उत्तराखंड	33.29	7.54	9.05	34.23	5.77	8.31	23.76	2.40	6.21
28	पश्चिम बंगाल	40.77	9.59	15.26	37.36	8.21	12.01	35.22	6.57	11.01
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.41	6.73	10.71	20.19	4.34	7.67	8.33	2.11	3.62
30	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	53.13	11.79	36.42	48.16	10.28	31.03	38.15	2.47	14.46
31	दिल्ली	22.40	2.01	10.01	38.43	2.00	15.92	42.90	2.51	17.81
32	जम्मू और कश्मीर	15.37	1.85	5.89	16.38	2.28	4.41	14.32	1.28	3.47
33	लद्दाख	22.32	3.66	6.67	13.13	0.89	2.58	10.31	0.19	1.54
34	लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	44.25	14.84	26.96	40.62	11.86	22.17
35	पुदुच्चेरी	26.59	8.21	11.53	32.69	7.44	11.25	41.13	7.36	13.22
36	संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	33.09	2.64	14.09	25.32	0.27	7.12	26.77	1.66	9.21
	कुल	**39.37**	**7.71**	**18.44**	**38.22**	**6.26**	**16.52**	**39.09**	**5.35**	**16.60**

अनुलग्नक-III

"महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री मणि ए, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, सुश्री महुआ मोइत्रा और डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3486 के भाग (क और ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1) पोषण ट्रैकर के अनुसार फरवरी 2025 माह में झारखंड में बच्चों (0-5 वर्ष) में कुपोषण की जिले-वार स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं..	जिला	ठिगनापन%	दुबलापन%	अल्प वजन%
1	बोकारो	43.13	7.29	18.23
2	चतरा	42.92	6.09	13.98
3	देवघर	40.99	6.41	15.93
4	धनबाद	37.82	6.94	14.95
5	दुमका	48.18	6.16	21.34
6	पूर्वी सिंहभूम	48.61	5.11	22.07
7	गढ़वा	41.60	8.69	15.38
8	गिरिडीह	39.08	4.32	14.67
9	गोड्डा	49.72	6.69	26.41
10	गुमला	46.15	5.99	19.43
11	हज़ारीबाग	47.68	6.48	18.90
12	जामताड़ा	40.90	7.77	15.78
13	खुंटी	46.25	7.20	22.34
14	कोडरमा	45.34	5.21	19.29
15	लातेहार	48.69	6.39	25.85
16	लोहरदगा	43.07	4.37	16.81
17	पाकुड़	45.73	5.34	18.53
18	पलामू	41.92	6.57	17.90
19	रामगढ़	52.41	8.10	26.39
20	रांची	32.68	6.64	13.39
21	साहिबगंज	36.62	5.51	9.88
22	सरायकेला-खरसावां	45.78	4.51	21.65
23	सिमडेगा	33.05	6.98	12.89
24	पश्चिमी सिंहभूम	65.63	9.17	43.89
	कुल	43.91	6.39	19.14

2) पोषण ट्रैकर के अनुसार फरवरी 2025 महीने में धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र (जिसमें धर्मपुरी और सेलम जिले शामिल हैं) सहित तमिलनाडु में बच्चों (0-5 वर्ष) में कुपोषण की जिले-वार स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं..	जिला	ठिगनापन%	दुबलापन%	अल्प वजन%
1	अरियालूर	12.09	3.23	6.59
2	चेंगलपट्टू	12.84	3.71	7.07
3	चेन्नई	10.85	2.35	5.54
4	कोयंबटूर	11.42	2.81	5.13
5	कुड्डालोर	15.54	3.41	6.26
6	धर्मपुरी	11.21	2.21	3.29
7	डिंडीगुल	17.00	3.86	7.40
8	इरोड	11.46	3.66	6.89
9	कल्लाकुरिची	14.64	3.99	7.69
10	कांचीपुरम	8.95	2.17	4.26
11	कन्याकुमारी	8.75	2.33	4.03
12	करूर	16.03	4.83	8.37
13	कृष्णागिरी	22.75	4.44	8.78
14	मदुरै	13.48	3.49	6.78
15	माइलादुत्रयी	16.91	3.74	5.96
16	नागपट्टिनम	13.08	3.96	6.25
17	नमक्कल	15.45	5.04	8.09
18	पेरम्बलूर	19.38	5.21	10.37
19	पुदुक्कोट्टई	17.02	4.26	7.68
20	रामनाथपुरम	12.15	3.52	5.85
21	रानीपेट	19.60	4.85	8.98
22	सलेम	8.76	2.25	3.54
23	शिवगंगा	11.39	3.94	6.47
24	तेनकासी	14.76	3.88	7.01
25	तंजावुर	11.08	3.19	4.99
26	नीलगिरि	25.67	5.14	14.00
27	थेनी	16.88	4.31	6.66
28	तिरुवल्लुर	16.57	3.53	7.54
29	थिरुवरुर	14.80	3.77	5.30
30	तिरुचिरापल्ली	11.73	3.40	6.78
31	तिरुनेलवेली	17.96	3.87	8.75
32	तिरुपथुर	14.24	2.96	4.77
33	तिरुपूर	8.19	2.62	4.19
34	तिरुवन्नामलाई	13.53	3.37	6.17
35	तूतीकोरिन	13.15	3.06	6.18
36	वेल्लोर	16.60	4.30	7.82
37	विल्लुपुरम	13.54	3.47	6.00
38	विरुधुनगर	18.25	3.96	8.88
	कुल	13.76	3.46	6.40

अनुलग्नक-IV

"महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री मणि ए, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, सुश्री महुआ मोइत्रा और डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3486 के भाग (क और ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, झारखंड, तमिलनाडु और तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र (धर्मपुरी और सलेम जिला) में महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता निम्नानुसार है:

झारखंड	तमिलनाडु	धरमपुरी जिला	सेलम जिला
65.3%	53.4%	42.5%	46.3%

अनुलग्नक-V

"महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री मणि ए, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, सुश्री महुआ मोइत्रा और डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3486 के भाग (ख और घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया से निपटने के लिए, ऊपर बताए गए उपायों के अलावा, किए गए उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति लागू करता है जिसमें एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए नीचे दिए गए उपाय शामिल हैं:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए जाते हैं, ताकि गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल प्रदान की जा सके, जिसमें चिकित्सा संबंधी जटिलताएं भी शामिल हैं, जिसमें बच्चों को समय पर, पर्याप्त और उचित आहार देने के लिए माताओं और देखभाल करने वालों के कौशल में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम लागू किया जाता है, जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना और उसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार पद्धतियों पर परामर्श देना शामिल है।
- स्तनपान प्रबंधन केंद्र: स्तनपान प्रबंधन इकाइयां (एलएमयू) माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने और मां के स्वयं के दूध को व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित सुविधाएं हैं और नवजात गहन देखभाल इकाइयों और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले और अल्प वजन वाले बच्चों के भोजन के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत डोनर मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) स्थापित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) के बीच मिट्टी से फैलने वाले कृमि (एसटीएच) के संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दो दौर (फरवरी और अगस्त) में एक निश्चित दिन को एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।

राज्यों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निधि प्रदान की जाती है।

****